प्रेस विज्ञप्ति

देशभर के पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने मांगा पुरुषों के लिए बराबरी का हक !

- दो दिवसीय राष्ट्रीय पुरुष अधिकार अधिवेशन में देशभर के कार्यकर्ता हुए एकत्र
- पुरुषों के वैवाहिक जीवन, कानून, न्याय, स्वास्थ्य, प्रजनन, गोद लेने के कानून एवं संपत्ति अधिकारों पर हुई चर्चा
- इस दुनिया को पुरुषों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने पर ध्यान देने की जरूरत
- पुरुषों की दुश्वारियां और उनके दुख दर्द को किया गया उद्धरित
- वरिष्ठ पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा पुरुषों के लिए सहायता की व्यवस्था पर जोर दिया
- पुरुषों से संबंधित विषयों पर किसी प्रकार की शोध एवं आंकड़ों की कमी को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने की आवश्यकता
- वैवाहिक जीवन को नष्ट करने के उद्देश्य से लाए जा रहे वैवाहिक बलात्कार कानून पर जताई गहन चिंता

पुरुषों के अधिकार एवं उनसे संबंधित विषयों पर दशम राष्ट्रीय अधिवेशन बनारस के एक होटल में शनिवार की सुबह प्रारंभ हुआ | यह अधिवेशन सेव इंडियन फैमिली (SIF) के द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो कि भारत में पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं एवं उनके संगठनों का सर्वोच्च संगठन है | पहले दिवस की कार्यवाही में पूरे देश से आए पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनकी आवाज को उठाने के लिए और पुरुषों की भलाई के लिए काम करने पर जोर दिया गया |

आयोजन सचिव अनुपम दुबे ने बताया कि मूलतः व्यवस्था के हाथों कठोरता से कुचले जाने पर, पुरुष अधिकारों के संबंध में सहृदयता के कारण यह कार्यकर्ता एवं उनके शुभेच्छु-गण एक मंच पर एकत्र हुए हैं | शुरुआत के निजी दु:ख-दर्द से उबरने के बाद इन कार्यकर्ताओं ने मोर्चा लेने की ठानी और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रण किया | पुरुषों से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हमारे समाज में उपेक्षित रहते हैं | उनमें पुरुषों का वैवाहिक जीवन, उनसे संबंधित कानून, न्याय, स्वास्थ्य, प्रजनन, गोद लेने के अधिकार एवं संपत्ति अधिकार कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कहीं, किसी मंच पर, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है |

इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ पुरुष अधिकार कार्यकर्ता एवं SIF, के संस्थापक सदस्य निलाद्री दास ने समाज में पुरुषों की सहायता के लिए व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल

दिया | भारतीय समाज एक भ्रम में रहता है पुरुषों को सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती है | वह अपने जीवन की दुश्वारियों का सामना करने के लिए स्वयं सक्षम है | जबकि समाज में पुरुषों के ऊपर महिलाओं के द्वारा फर्जी मुकदमे की बाढ़ आ गई है, ऐसी दशा में बहुत से पुरुष एवं उनके परिवार अपने आप को एकतरफा कानून के मकड़जाल में फंसा हुआ पाते हैं | बलात्कार, दहेज-उत्पीड़न, छेड़छाड़ करना आदि तमाम प्रकार के फर्जी मुकदमे कुटिल महिलाओं के द्वारा अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए पुरुषों के ऊपर लिखा दिए जाते हैं | यद्यपि व्यवस्था एवं उसके अधिकारियों को जमीनी हकीकत का ज्ञान है पर फिर भी वे पुरुषों की मदद के लिए आगे नहीं आते | कानून की लंबी प्रक्रिया और अदालत की लड़ाई के कारण बहुत से पुरुष अपना समय, धन और स्वास्थ्य खोते जाते हैं | जबकि कुटिल महिलाएं, महिलाओं के लिए बनाए गए एकतरफा वैवाहिक कानूनों एवं अन्य दीवानी एवं फौजदारी कानूनों के पीछे छुप कर पुरुषों की संपत्ति को हड़पने तक का प्रयास करती हैं | "प्रेमी से मिलकर पति की हत्या" – रोज की खबर हो चुकी है, ऐसी दशा में पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जीवन काल में ही अपनी वसीहत तैयार करके जाएं जिससे कि ऐसी महिलाओं को अपने मंसूबों में सफलता ना मिले |

वास्तव फाउंडेशन, मुंबई के संस्थापक अमित देशपांडे ने पुरुषों के संबंधित विषयों पर किसी प्रकार के शोध के ना होने पर चिंता जताई | यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार के पास आधिकारिक रूप से पुरुषों के स्वास्थ्य, शिक्षा व उनकी आर्थिक स्थिति एवं उनसे जुड़े हुए किसी भी मसले पर, किसी प्रकार का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है | यहां तक कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे सिर्फ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में आंकड़े एकत्र करता है | यह किसी भी व्यक्ति के समझ से बाहर है कि क्यों पुरुषों को और उनकी समस्याओं को आंकड़ों से भी बाहर रखा गया | अमित देशपांडे ने इस समस्या से पार पाने के लिए शोध के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया | उन्होंने अपने द्वारा इस दिशा में पूर्व में किए गए कुछ अनुभवों को भी साझा किया | उनका मानना है कि विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में पुरुषों से संबंधित विषयों पर शोध को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाना चाहिए |

मैन वेलफेयर ट्रस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी दिल्ली से आए अमित लखानी ने वैवाहिक संबंधों में बलात्कार को एक अपराध बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चिंता जताई | उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित एक याचिका का हवाला देते हुए बताया कि किस प्रकार उस याचिका में वादी के द्वारा फर्जी एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर कोर्ट से अनुतोष की प्रार्थना की गई है | श्री लखानी ने बताया कि उनके ट्रस्ट के द्वारा इस याचिका में हस्तक्षेप करके इसके निस्तारण से पूर्व न्यायालय को सही तथ्यों से एवं पुरुषों के पक्ष से भी अवगत कराया जा रहा है | उन्होंने कहा कि वैवाहिक बलात्कार कानून को चोरी-छुपे, चोर दरवाजे से लागू करके लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं | ऐसा किया जाना भारत में पारिवारिक सद्भाव को छिन्न भिन्न कर देगा-एवं पति-पत्नी के संबंध अदालतों के गलियारे में चक्कर लगाते हुए समाप्त हो जाएंगे | क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे पति-पत्नी के बीच क्या घटित हुआ था इसको कोर्ट में स्थापित करना मुश्किल होगा और कानून महिलाओं के पक्ष में झुका होने के कारण पुरुषों को सिर्फ महिलाओं को सुनने के बाद सजा दे देने की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी |

इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत में देश भर से आए कार्यकर्ताओं ने पंजीकरण कराया और सहृदयता के साथ एक दूसरे का दु:ख-दर्द बांटा | कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में चेन्नई से सुरेश राम, हैदराबाद से टी आर पार्था, कोलकाता से अभय, पंजाब से रोहित डोगरा, त्रिपुरा से दिलीप सरकार, बरेली से डॉक्टर विवेक अग्रवाल, भोपाल से डॉक्टर सुमंत जैन, कानपुर से गौरव बनर्जी एवं सैकड़ों पुरुष अधिकार कार्यकर्ता रहे | आश्चर्यजनक रूप से इस कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा भी पुरुषों के समर्थन में सहभागिता की गई जिसमें लखनऊ से डॉक्टर इंदु सुभाष एवं सरिता सिंह एवं अहमदाबाद से कलावती पटेल आदि शामिल रहे |

सादर सहित,

स्थान : वाराणसी
दिनांक : 11 अगस्त 2018

अनुपम दुबे
आयोजन सचिव